परिपत्र संख्या 10/10/2017-जीएसटी

सीबीईसी - 20/16/03/2017-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)
प्रमुख महानिदेश / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: अनुमोदन के आधार पर आपूर्ति के लिए माल के राज्य या पंजीकरण राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के मामले में स्पष्टीकरण-की बाबत

विशेष रूप से आभूषण आदि के आपूर्तिकर्ताओं से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो एक राज्य में पंजीकृत हैं, लेकिन अन्य राज्यों (उनके पंजीकरण के राज्य के अलावा) में भी जाते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ अनुमोदन के लिए माल (जैसे आभूषण) को भी अपने साथ ले जाएं। ऐसे मामलों में यदि आभूषण आदि को खरीदार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता आपूर्ति के समय केवल कर चालान जारी करता है। चूंकि आपूर्तिकर्ता अपनी वास्तविक आपूर्ति का पहले से पता लगाने में सक्षम नहीं होते हैं और जबकि अग्रिम में कर देयता का पता लगाने के लिए एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता है, आपूर्तिकर्ता एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण करने में सक्षम नहीं होता है। यह भी प्रतिनिधित्व किया गया है कि इस तरह के सामानों को आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए उसी राज्य में ले जाया जाता है। अतः, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता के उद्देश्य से, इस मामले को इस प्रकार स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है -

2. यह देखा गया है कि केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 55 के उप-नियम (1) के उपखण्ड(ग) (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) में यह

प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ता को माल के प्रारंभिक स्थानांतरण से पूर्व, डिलीवरी चालान जारी करना होगा जहाँ कि ऐसे स्थानांतरण का कारण माल की आपूर्ति से भिन्न है। इसके अलावा, उक्त नियम के उप-नियम (3) में यह भी प्रावधान है कि उक्त डिलीवरी चालान को उक्त नियमों के नियम 138 के तहत निर्दिष्ट किया जाएगा। यह भी देखा गया है कि उक्त नियमों के नियम 55 के उप-नियम (4) में यह प्रावधान है कि "माल के प्राप्तकर्ता को आपूर्ति करने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन माल निकालने के समय आपूर्ति के उद्देश्य से कर चालान जारी नहीं किया जाता है। आपूर्तिकर्ता सामानों की डिलीवरी के बाद एक कर चालान जारी करेगा"।

3. उपर्युक्त प्रावधानों का एक संयुक्त वाचन इंगित करता है कि जो माल अनुमोदन के आधार पर आपूर्ति के लिए लिया जाता है, उसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय के स्थान से उसी राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर या राज्य के बाहर किसी स्थान पर किसी डिलीवरी पर ले जाया जा सकता है। जहां भी लागू हो ई-वे बिल के साथ चालान और माल की डिलीवरी के समय चालान जारी किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, इस तरह की आपूर्ति के लिए सामान ले जाने वाला व्यक्ति चालान बुक को अपने साथ ले जा सकता है, ताकि आपूर्ति पूरी होने के बाद वह चालान जारी कर सके।

4. यह आगे स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सभी आपूर्ति, जहां आपूर्तिकर्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाता है और उन्हें एक अलग राज्य में आपूर्ति करता है, अंतर-राज्य आपूर्ति होगी और एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के संदर्भ में एकीकृत कर को आकर्षित करेगी।

5. यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह स्पष्टीकरण समान परिस्थितियों में आपूर्ति किए गए सभी सामानों पर लागू होगा।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

7. उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो कृपया बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जायेगा।

(उपेंद्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)